न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2018/00348

1. गिरधारी आत्मज स्वर्गीय हीरालाल जाति माली निवासी मन्डाना तहसील लाडपुरा, जिला कोटा(राज0)।
2. श्रवण आत्मज स्वर्गीय हीरालाल जाति माली निवासी मन्डाना तहसील लाडपुरा, जिला कोटा(राज0)।
3. चेतराम आत्मज स्वर्गीय हीरालाल जाति माली निवासी मन्डाना तहसील लाडपुरा, जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. वहीदन रहमान बेवा स्व0 जाहिद हुसैन जाति मुसलमान निवासी ग्राम मन्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
2. एजाज हुसैन आत्मज स्व0 जाहिद हुसैन जाति मुसलमान निवासी ग्राम मन्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
3. रियाज हुसैन आत्मज स्व0 जाहिद हुसैन जाति मुसलमान निवासी ग्राम मन्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
4. पुष्पाबाई पुत्री तुलसीराम पत्नि हीरालाल जाति माली निवासी ग्राम मन्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). दयाराम सेन– अधिवक्ता अपीलांट

निर्णय **दिनांक 21.06.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 76/2016 मे पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 92(ए), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 544 रकबा 0.60 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जिसमे 1/2 हिस्सा किशनगोपाल एवं शेष 1/2 हिस्सा तुलसीराम जी का है। तुलसीराम के स्वर्गवास के बाद हीराबाई, हीराबाई के बाद पुष्पाबाई व पुष्पाबाई के बाद उसके वारिसान प्रतिवादीगण है। किशनगोपाल का उक्त भूमि मे 1/2 हिस्सा है जिसका किशनगोपाल ने दिनांक 02.01.1997 को इकरारनामा से वादीगण के पिता जाहिद हुसैन पुत्र मोहम्मद इस्माईल को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया। बाद मे जाहिद हुसैन का देहान्त हो गया और स्वर्गवास के बाद वादीगण एकमात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी होने से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण को इकरारनामा की जानकारी होने पर, किशनगोपाल को दिनांक 08.10.2014 को प्रतिवादीगण से सम्पर्क किया और वादीगण का नाम दर्ज करवाने को कहा जिस पर प्रतिवादीगण ने इनकार कर दिया और कहा कि हम नाम दर्ज करवाकर वादीगण को बेदखल करेंगे। वादीगण का निरन्तर अबाध रूप से होस्टाईल एण्ड पीसफुल पजेशन है जिस पर प्रतिवादीगण के अधिकार समाप्त होकर वादीगण को प्राप्त हो गये है। अन्त मे वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया कि वादीगण को ग्राम मण्डाना स्थित खसरा नम्बर 544 रकबा 0.60 हैक्टेयर मे से किशनगोपाल जी के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर मृतक किशनगोपाल के स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण को बेदखल नहीं करें तथा शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। दिनांक 18.05.2017 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की है। अपील मे हुई देरी को क्षमा किये जाने हेतु अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मे हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ का अवलोकन किया। चूंकि निर्णय दिनांक 18.05.2017 लोक अदालत मे अपीलांट प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे हुआ, अतः समय पर निर्णय की जानकारी नहीं होने से अपीलांट अपील पेश नहीं कर सका। अपीलाट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मे अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री तथ्य विरूद्ध, साक्ष्य विरूद्ध एवं संबंधित विधि के पूर्णतया विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण मे बिना पक्षकारान की सहमति के बिना सूचना के केम्प मे रखकर निरस्तारण करवा लिया है अतः निर्णय एवं डिक्री जैर अपील हर प्रकार से काबिज निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेही करने का एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पक्षकारान की अनुपस्थिति मे उक्त वाद विभाजन आराजी का वाद होना मानते हुए केवल वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जो कि अनरजिस्टर्ड स्टाम्प विक्रय–पत्र को आधार मानकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री करने मे त्रुटि की है। वादीगण द्वारा जो वाद अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर जो दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किये गये है उनमे 1/2 हिस्सा किशनगोपाल का होना दर्शाकर पेश किया गया है। उक्त वाद मे सह खातेदार की बेवा हीरा बेवा तुलसीराम मृतक की पुत्री पुष्पाबाई को उक्त वाद मे पक्षकार नहीं बनाया गया है। केवल पुष्पा बाई के पुत्रों को पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद नोनजोइन्डर पार्टीज के सिद्धान्त के आधार पर भी निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त वाद मे बिना तुलसीराम की पुत्री पुष्पा जो कि जीवित है, जिसकी जानकारी वादीगण को थी, फिर भी वादीगण द्वारा उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस सब तथ्यों के प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करते, लेकिन न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपनी साक्ष्य पेश करने का अवसर ही प्रदान नहीं करके उक्त प्रकरण को लोक–अदालत मे रखकर प्रक्षकारान की अनुपस्थिति मे निस्तारण किया गया है, जो कि हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता

अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2022(2) आर.आर.टी. पेज 1310 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2017 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.12.2016 के अनुसार प्रतिवादी कम 1 से 3 की ओर से उनके अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। पत्रावली दिनांक 18.05.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 के अन्तर्गत कैम्प मण्डाना मे प्रस्तुत हुई। आदेशिका निर्णय दिनांक 18.05.2017 मे यह कही अंकित नहीं है कि कौन–कौन पक्षकार वहॉ उपस्थित हुए। कोई विधिक राजीनाम लोक–अदालत मे प्रस्तुत नहीं किया गया। राजस्व लोक अदालत मे समस्त पक्षकार उपस्थित नहीं थे। आदेशिका दिनांक 18.05.2017 मे कहीं पर भी राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किए जाने का उल्लेख नहीं है। राजस्व लोक–अदालत मे बिना किसी राजीनामा के इकरारनामा के आधार पर वाद स्वीकार करना विधि–विरूद्ध है। सहखातेदारी की भूमि मे तुलसीराम के वारिसान को भी पक्षकार नहीं बनाया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2022(2) पेज 1310 से हम सहमत है। राजस्व लोक–अदालत मे केवल पक्षकारान के बीच उनकी उपस्थिति मे विधिवत राजीनामा प्रस्तुत होने पर ही निर्णय व डिक्री पारित की जाती है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी विधिवत राजीनामा के तथा बिना सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना के अपीलांटगण को बिना सुने न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत कैम्प मण्डाना मे राजस्व लोक अदालत मे निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 पारित की गई है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर भी अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना उचित है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किया जाना उचित है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष राजस्व लोक–अदालत न्याय आपके द्वार–2017 ग्राम पंचायत मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 76/2016 मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2017 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नवीन सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई हेतु

दिनांक 27.07.2023 को उपस्थित रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा